फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

..... कन्हैयालाल ..... बनाम ..... ग्राम पंचायत डोभी आदि.....

किस्म मुकदमा..... 75 एलआरएक्ट .....नं० .....3 /06.01.2020 .....सन्..... 2020 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
06-01-20	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी का अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह जांगिड़ के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक न0 8 बारानी के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 6/1, 14/1, 18/1, 19, 20/2, 21/2, 22/1, 22/2 की 0.7505 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 10.02.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.02.2020 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	
6/2/20	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई, जिसमें प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करवाने व प्रार्थना पत्र खारिज किए का निवेदन किया, प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली खारिज किए की पात्रता पत्रावली से कम होती है उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	मुकदमा नहीं चलाना चाहता हूं Kanhaiya Lal Sain प्रार्थी Jangid

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested